कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ0ग0)

// आदेश//

क्रमांक/3236/कोरोना सेल/2020 रायगढ, दिनांक 17/04/2020

नोबेल कोरोना वायरस (**COVID-19**) अंतर्गत छ0ग0शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक 189/स.सा.प्र.वि./2020, दिनांक-16.04.2020 के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय कोरोना वायरस (COVID-19) नियंत्रण निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने **(संलग्नक-क 1 अनुसार)** एवं निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों तथा स्थापनाओं पर विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने, सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं, कार्यस्थल, कार्यालय इत्यादि प्रारंभ करने पूर्व निर्धारित मानक प्रक्रिया एस.ओ.पी. **(संलग्नक-क 2 अनुसार)** आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने एवं कोरोना नियंत्रण के इन कंटेनमेंट उपायों को लागू करने के लिए निम्नांकित कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को उनके अधिकारिता क्षेत्रान्तर्गत एतद्द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त **इन्सीडेन्ट कमान्डर** नियुक्त किया जाता है :-

क्रं	वि0खंण्ड	कार्यपालिक दण्डाधिकारी का नाम	पदनाम एवं मोबाईल नम्बर
1	रायगढ़	श्री अरूण कुमार सोम	डिप्टी कलेक्टर/ तहसीलदार, रायगढ़, मो0नं0-93993-69609
2	रायगढ़	श्री विक्रांत सिंह राठौर	नायब तहसीलदार, रायगढ़ मो.नं. 7879606478
3.	रायगढ़	श्री लीलाधर चन्द्रा	नायब तहसीलदार, रायगढ़ मो.नं0-99077-48330
4.	रायगढ़	श्रीमती रूचिका अग्रवाल	नायब तहसीलदार, रायगढ़ मो0न0-81036-10112
5.	पुसौर	सुश्री माया अंचल	प्र.तहसीलदार/नायब तहसीलदार, पुसौर मो.नं. 8103048596
6.	पुसौर	श्री पुष्पेन्द्र राज	नायब तहसीलदार, पुसौर मो.नं. 8269967979
7.	पुसौर	श्री आयुष तिवारी	नायब तहसीलदार, पुसौर, मो0नं0 96172-96226
8.	खरसिया	श्रीमती अवंती गुप्ता	तहसीलदार, खरसिया मो.नं. 892392566
9.	खरसिया	श्री अर्पण कुमार कुर्रे	नायब तहसीलदार, खरसिया मो.नं. 9754273789
10.	खरसिया	श्री विवेक कुमार पटेल	नायब तहसीलदार, खरसिया मो.नं. 7509954555
11.	सारंगढ़	श्री जगतराम सतरंज	तहसीलदार, सांरगढ़ मो0नं0- 97548-06476
12.	सारंगढ़	सुश्री रॉकी एक्का	नायब तहसीलदार, सारंगढ़ मो.नं. 8770340536
13.	सारंगढ़	श्री बंदेराम भगत	नायब तहसीलदार, सारंगढ़ मो.नं. 7389391868
14.	बरमकेला	श्री राकेश वर्मा	प्र. तहसीलदार/ना.त. बरमकेला मो. नं. 8305907656

15.	बरमकेला	कु. प्रेमा किस्पोट्टा	नायब तहसीलदार, बरमकेला मो.नं. 9617066079
16.	घरघोड़ा	श्री हितेश कुमार साहू (परि.)	नायब तहसीलदार, घरघोड़ा मो.नं. 9669924292
17.	घरघोड़ा	सुश्री अनुराधा पटेल	नायब तहसीलदार, घरघोड़ा मो.नं. 8770810450
18.	तमनार	श्री तिरथ राम कश्यप	प्र. तहसीलदार/ना.तह.तमनार मो.नं. 9770100209
19.	लैलूंगा	~~श्री अनुज पटेल~~	प्र.तहसीलदार लैलूंगा मो.नं. 9424187600
20.	धरमजयगढ़	सुश्री नीतू भगत (परि.)	प्र. तहसीलदार, धरमजयगढ़ मो.नं. 7999632910
21.	कापू	श्री फागूलाल सिदार (परि.)	नायब तहसीलदार, कापू मो.नं. 8770772819
22.	छाल	श्री उमेश्वर बाज	नायब तहसीलदार, धरमजयगढ़ मो. नं. 8349987189

यह आदेश दिनांक **20 अप्रैल, 2020** से प्रभावशील होंगे। निर्धारित क्षेत्र में सभी विभागों के अधिकारी/ कर्मचारी इन्सीडेन्ट कमान्डर के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करेंगे। आवश्यक मूवमेंट हेतु इन्सीडेन्ट कमान्डर द्वारा पास जारी किया जावेगा तथा अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य संपादित करेंगे।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ0ग0)

पृ0क्रं./3236A/ कोरोना सेल/2020 रायगढ़ दिनांक 17/04/2020

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
3. सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
   –– मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, रायगढ को सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
7. सर्व, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) रायगढ़ जिला को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. सर्व, तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. सहायक संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ0ग0)

संलग्नक–1

COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश

राष्ट्रीय निर्देश जिला दंडाधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार अर्थदंड तथा दंडात्मक कार्यवाही के माध्यम से लागू किये जायेंगे।

सार्वजनिक स्थल

1. सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा।
2. सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
3. कोई भी संस्था/सार्वजनिक स्थल का प्रबंधक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नहीं देगा।
4. विवाह एवं अंत्येष्टि जैसे आयोजनों के लिए व्यक्तियों के एकत्रित होने संबधी व्यवस्था जिला दंडाधिकारी द्वारा विनियमित किया जायेगा।
5. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय होगा।
6. शराब, गुटका, तम्बाकू इत्यादि के विक्रय पर कड़ा प्रतिबंध होगा एवं थूकने पर सख्त प्रतिबंध होगा।

कार्यस्थल

7. समस्त कार्यस्थलों पर थमैल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर सैनिटाईजर की व्यवस्था की जाए।
8. कार्यस्थलों पर प्रत्येक पाली के मध्य 1 घंटे का अंतराल रखा जाए एवं सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिए कर्मचारियों के भोजना अवकाश के मध्य अंतराल रखा जाए।
9. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिनको कोई सह–रूग्णता हो तथा 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों के पालकों को घर से कार्य करने प्रोत्साहित किया जाये।
10. आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने सभी प्राइवेट एवं शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए।
11. समस्त संस्थाएं पालियों के मध्य अपने कार्यस्थलों के सैनिटाईजेशन की व्यवस्था करेंगे।
12. बड़ी बैठकें प्रतिबंधित होंगी।

विनिर्माण ईकाइयां

13. सार्वजनिक सतहों की बार–बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई के आदेश जारी किये जाए।
14. पालियों की ओवर–लैपिंग ना हो तथा कैंटीन में सामाजिक दूरी के नियम के पालन में लंच के समय को आगे–पीछे रखा जाए।
15. अच्छे स्वच्छता की आदतों से भली–भांती परिचित कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान किया जाये।

Scanned with CamScanner

संलग्नक–2

कार्यालयों, कार्यस्थलों, फैक्ट्रियों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

कार्यालयों, फैक्ट्रियों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के निम्नलिखित उपाय अपनाए जाए :

1. निम्नलिखित स्थानों को सम्मिलित करते हुए परिसर के समस्त क्षेत्रों को पूर्णरूपेण उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण (user-friendly) निस्संक्रामक (Disinfectant) उपयोग करते हुए संक्रमण रहित किया जाए :

a. भवन का प्रवेश द्वार, कार्यालय इत्यादि

b. कैफेटेरिया एवं कैंटीन

c. बैठक कक्ष, सम्मेलन हाल/उपलबध खुली जगहें/वरांडा/जगह का प्रवेशद्वार/बंकर/पोर्टा केबिन/भवन इत्यादि

d. उपकरण एवं लिफ्ट

e. वाशरूम, प्रसाधन, सिंक, पानी के स्थान इत्यादि

f. दीवारें तथा अन्य सतहें

2. बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए सार्वजनिक यातायात के साधनों पर निर्भर ना रहते हुए परिवहन की विशेष व्यवस्था बनाई जाए। ऐसे वाहनों की यात्री क्षमा का 30–40 % उपयोग की अनुमति दी जाये।

3. परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों एवं मशीनों को अनिवार्यतः स्प्रे कर सैनेटाईजर किया जाये।

4. कार्यस्थल पर आनेवाले तथा जानेवाले सभी व्यक्तियों की अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग की जाये।

5. सभी कामगारों का चिकित्सा बीमा कराया जाना अनिवार्य किया जाए।

6. हैण्डवाश एवं सैनिटाईजर, जो स्पर्शमुक्त प्रणाली युक्त हो तो बेहतर, का प्रावधान समस्त आगम एवं निर्गम द्वारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर किया जाए। उपरोक्त वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जाये।

7. कार्यस्थलों पर दो पालियों के मध्य 1 घंटे का समय अंतराल रखा जाए तथा सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए भोजन अवकाश में भी समय अंतराल रखा जाये।

8. दस या अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने अथवा बैठकों को हतोत्साहित किया जाए। कार्यस्थल बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में बैठने के लिए कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखी जाये।

9. लिफ्ट इत्यादि में 2 से 4 (क्षमता के अनुसार) व्यक्तियों को चढ़ने की अनुमति दी जाये।

10. ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए।

11. गुटका, तम्बाकू इत्यादि के उपयोग तथा थूकने पर सख्त प्रतिबंध होगा।

12. स्थल पर अनावश्यक आगंतुकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

13. आस पास के अस्पताल एवं क्लिनिक, जो COVID-19 के उपचार के लिए अधिकृत हो को चिन्हित कर सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध कराई जाये।

Scanned with CamScanner